वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 12

औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

क. वसूलियॉ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	1003.10	171.36	1174.46	1292.00	189.00	1481.00	1103.00	192.74	1295.74	1291.90	202.25	1494.15
	पूंजी	***10.00***	...	*10.00*	*8.00*	...	*8.00*	*4.00*	...	*4.00*	*73.10*	...	*73.10*
	जोड़	**1013.10**	**171.36**	**1184.46**	**1300.00**	**189.00**	**1489.00**	**1107.00**	**192.74**	**1299.74**	**1365.00**	**202.25**	**1567.25**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	38.24	38.24	...	41.31	41.31	...	40.13	40.13	...	42.53	42.53
उद्योग													
2. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद	2852	...	11.49	11.49	...	9.50	9.50	...	9.50	9.50	...	10.89	10.89
3. राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान	2852	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	0.01	0.01
4. एशियाई उत्पादकता संगठन	2852	...	5.47	5.47	...	6.50	6.50	...	6.60	6.60	...	6.60	6.60
5. विश्व बौद्धिक संपदा संगठन	3475	...	0.43	0.43	...	0.45	0.45	...	0.85	0.85	...	0.60	0.60
6. स्वायत्तशासी संस्थानों को परियोजना आधारित सहायता	2852	88.21	...	88.21	100.00	...	100.00	85.00	...	85.00	91.29	...	91.29
7. राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन के लिए योजना	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
जोड़-उद्योग		**88.21**	**18.39**	**106.60**	**100.00**	**17.45**	**117.45**	**85.00**	**17.95**	**102.95**	**92.29**	**18.10**	**110.39**
अन्य प्रशासनिक सेवाएं													
8. पेट्रोलियम एवं विस्फोटक पदार्थ सुरक्षा संगठन	2070	1.97	20.31	22.28	2.97	22.95	25.92	2.97	24.08	27.05	3.00	25.61	28.61
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं													
9. पेटेंट, डिजाइन और ट्रेड मार्क महानियंत्रक	3475	...	32.14	32.14	...	32.48	32.48	...	33.87	33.87	...	35.41	35.41
10. भौगोलिक संकेतन रजिस्ट्री	3475	...	0.56	0.56	...	0.90	0.90	...	0.80	0.80	...	0.90	0.90
11. बौद्धिक संपदा कार्यालय का आधुनिकीकरण और संदृढ़ीकरण	3475	24.72	...	24.72	50.00	...	50.00	35.00	...	35.00	26.00	...	26.00
	4059	...	...	...	...	...	...	...	...	...	24.00	...	24.00
	जोड़	*24.72*	...	*24.72*	*50.00*	...	*50.00*	*35.00*	...	*35.00*	*50.00*	...	*50.00*
12. राष्ट्रीय बौद्धिक संपत्ति प्रबंधन संस्थान	3475	...	0.17	0.17	...	0.40	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40	0.40
	4059	10.00	...	10.00	8.00	...	8.00	4.00	...	4.00	5.00	...	5.00
	जोड़	*10.00*	*0.17*	*10.17*	*8.00*	*0.40*	*8.40*	*4.00*	*0.40*	*4.40*	*5.00*	*0.40*	*5.40*
13. आर्थिक सलाहकार	3475	1.98	3.73	5.71	4.00	4.34	8.34	4.00	4.40	8.40	4.00	4.65	8.65
14. बौद्धिक संपत्ति अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी)	3475	...	2.16	2.16	...	2.53	2.53	...	2.46	2.46	0.01	2.19	2.20

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
जोड़-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं		**36.70**	**38.76**	**75.46**	**62.00**	**40.65**	**102.65**	**43.00**	**41.93**	**84.93**	**59.01**	**43.55**	**102.56**
15. टैरिफ आयोग	2852	...	5.78	5.78	...	6.71	6.71	...	7.51	7.51	...	8.00	8.00
16. नमक आयुक्त	2852	0.29	24.28	24.57	3.00	27.10	30.10	...	27.75	27.75	0.20	29.64	29.84
17. केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान	2852	...	4.24	4.24	...	5.50	5.50	...	6.50	6.50	...	6.90	6.90
18. लुग्दी एवं कागज उद्योग विकास परिषद	2852	...	4.20	4.20	...	6.50	6.50	...	6.53	6.53	...	6.50	6.50
19. सीमेंट उद्योग विकास परिषद	2852	...	1.70	1.70	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
20. भारतीय चर्म विकास कार्यक्रम	2852	170.00	...	170.00	240.00	...	240.00	180.00	...	180.00	255.00	...	255.00
21. अन्य योजनाएं	2852	...	...	...	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02
22. संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन	2852	...	8.70	8.70	...	8.50	8.50	...	9.00	9.00	...	9.25	9.25
23. पिछड़े क्षेत्रों का विकास													
23.01 औद्योगिक इकाइयों को परिवहन सब्सिडी	2885	399.99	...	399.99	180.00	...	180.00	231.03	...	231.03	50.00	...	50.00
23.02 जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के लिए विशेष श्रेणी के राज्यों का पैकेज	2885	65.00	...	65.00	200.00	...	200.00	238.41	...	238.41	90.00	...	90.00
23.03 पूर्वोत्तर औद्योगिक पैकेज	2885	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
23.04 केन्द्रीय ब्याज सब्सिडी	2885	25.49	...	25.49	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23.05 पूँजी निवेश सब्सिडी	2885	49.52	...	49.52	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- पिछड़े क्षेत्रों का विकास		*540.00*	*...*	*540.00*	*380.01*	*...*	*380.01*	*469.45*	*...*	*469.45*	*140.01*	*...*	*140.01*
24. औद्योगिक आधारढांचा उन्नयन स्कीम	2852	118.40	...	118.40	115.00	...	115.00	58.50	...	58.50	115.00	...	115.00
25. राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद	2852	...	4.50	4.50	...	6.50	6.50	...	6.50	6.50	...	6.70	6.70
26. बॉयलर सर्वेक्षण	2852	...	0.11	0.11	...	0.24	0.24	...	0.21	0.21	...	0.24	0.24
27. राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद	2852	0.22	2.15	2.37	2.00	3.57	5.57	1.00	2.63	3.63	...	3.21	3.21
28. निवेश प्रोत्साहन योजना	2852	7.65	...	7.65	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	45.00	...	45.00
29. दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना कार्यान्वयन न्यास को अनुदान	2875	...	...	...	...	...	...	...	...	...	411.40	...	411.40
30. दिल्ली मुम्बई औद्योगिक गलियारा विकास निगम को अनुदान	2875	75.00	...	75.00	175.00	...	175.00	87.00	...	87.00	...	...	...
31. सरकारी उद्यमों में निवेश													
31.01 दिल्ली मुम्बई औद्योगिक गलियारा विकास निगम	4875	...	...	...	...	...	...	...	...	...	44.10	...	44.10
32. श्रम सघन उद्योगों के लिए औद्योगिक पार्क	2852	...	...	...	0.03	...	0.03	...	...	...	...	...	...
33. निवेश सब्सिडी (पुराना)	2885	...	...	...	...	...	...	0.09	...	0.09	...	...	...
34. अतिरिक्त भुगतान की वसूलियाँ	2852	-17.58	...	-17.58	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	2885	-7.76	...	-7.76	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*-25.34*	*...*	*-25.34*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
35. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लिए प्रावधान													

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2011-2012 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2011-2012 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2012-2013 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
35.01 पूर्वोत्तर औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति, 2007	2552	...	...	...	199.99	...	199.99	159.99	...	159.99	99.99	...	99.99
35.02 औद्योगिक यूनिट को परिवहन सब्सिडी	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	100.00	...	100.00
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लिए प्रावधान		*...*	*...*	*...*	*199.99*	*...*	*199.99*	*159.99*	*...*	*159.99*	*199.99*	*...*	*199.99*
कुल जोड़		***1013.10***	***171.36***	***1184.46***	***1300.00***	***189.00***	***1489.00***	***1107.00***	***192.74***	***1299.74***	***1365.00***	***202.25***	***1567.25***

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
31.01 दिल्ली मुम्बई औद्योगिक गलियारा विकास निगम	12875	...	...	...	...	...	...	...	...	...	44.10	...	44.10
जोड़		**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**44.10**	**...**	**44.10**
ग. योजना परिव्यय													
1. अन्य उद्योग	12875	444.16	...	444.16	658.00	...	658.00	434.47	...	434.47	965.99	...	965.99
2. उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	12885	532.24	...	532.24	380.01	...	380.01	469.54	...	469.54	140.01	...	140.01
3. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	36.70	...	36.70	62.00	...	62.00	43.00	...	43.00	59.01	...	59.01
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	199.99	...	199.99	159.99	...	159.99	199.99	...	199.99
जोड़		**1013.10**	**...**	**1013.10**	**1300.00**	**...**	**1300.00**	**1107.00**	**...**	**1107.00**	**1365.00**	**...**	**1365.00**

1. **सचिवालय - आर्थिक सेवाएं:** इसमें औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान है।

2. **राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद:** इसमें इस संगठन, जिसकी स्थापना उत्पादकता के प्रति जागरूकता पैदा करने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, उत्पादकता सर्वेक्षण, व्यावहारिक अनुसंधान आदि के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए उत्पादकता सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी, के लिए अनुदानों की व्यवस्था की गई है।

3. **राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान:** इसकी स्थापना उद्योग में डिजाइन के प्रति चेतना पैदा करने और सिरेमिक डिजाइन, उत्पाद डिजाइन, वेशभूषा डिजाइन, और दृश्य संचार जैसे औद्योगिक डिजाइनों में प्रशिक्षण, अनुसंधान और सेवा प्रदान कराने के लिए की गई है।

4. **एशियाई उत्पादकता संगठन:** इसमें एशियाई उत्पादकता संगठन में भारत की सदस्यता के लिए अंशदान के लिए व्यवस्था की गई है।

5. **विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन:** इसमें डब्ल्यू.आई.पी.ओ. में भारत की सदस्यता के लिए अंशदान की व्यवस्था की गई है।

6. **स्वायत्तशासी संस्थाओं को परियोजना आधारित सहायता:** इसमें स्वायत्तशासी संस्थाओं यानी भारतीय गुणवत्ता परिषद, राष्ट्रीय डिजायन संस्थान, केद्रीय लुग्दी तथा कागज अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय सीमेंट तथा भवन सामग्री परिषद, केद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय रबड़ विनिर्माण अनुसंधान एसोसिएशन, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धी परिषद और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को परियोजना आधारित सहायता देने का प्रावधान है।

7. **राष्ट्रीय विनिर्माण कार्यान्वयन योजना:** यह योजना मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय विनिर्माण नीति और योजना आयोग की विनिर्माण योजना कार्यान्वित करने हेतु आवश्यक है। राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र (एनआईएमजेड) की स्थापना नीति का महत्वपूर्ण साधन है। इस योजना के तहत प्रस्तावित निधि, एनआईएमजेड की मास्टर प्लानिंग, एनआईएमजेड से विदेशी भौतिक अवसंरचना जुड़ाव, उत्पादकता, गुणवत्ता (परीक्षण सुविधा और डिजाइन – पूंजी लागत की पूर्ति हेतु) की सांस्थानिक

अवसंरचना; हरित भवनों को प्रोत्साहन; उचित प्रौद्योगिकीयों की अधिप्राप्ति के लिए स्थापित की जाने वाली प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और विकास निधि; पेटेनेंट पूल सृजन; एनआईएमजेड में अति लघु, लघु उद्यमों को आवश्यक पर्यावरण अंकेक्षण, जल अंकेक्षण और गंदा पानी प्रसंस्करण आदि हेतु सहायता आदि की लागत सहित व्यय की पूर्ति हेतु है। योजना तैयार हो रही है। इस प्रकार, इस स्तर पर वार्षिक आयोजना 2012-13 की योजना हेतु 1 करोड़ रुपए प्रस्तावित है।

8. **पैट्रोलियम एवं विस्फोटक पदार्थ सुरक्षा संगठन:** इसमें संगठन के स्थापना व्यय की व्यवस्था की गई है जो भारतीय विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1884, पेट्रोलियम अधिनियम 1934, तथा ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 और उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों का प्रशासन करता है। यह संस्था सभी प्राधिकरणों को इन अधिनियमों के अन्तर्गत आने वाले मामलों पर परामर्श देती है और पुलिस, हवाई अड्डा सुरक्षा, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, आदि को विस्फोटकों का पता लगाने के विषय में गहन प्रशिक्षण देती है। यह संगठन विस्फोटकों के विनिर्माण, परिष्करण, प्रसंस्करण, प्रबंध, भण्डारण, गुणवत्ता विनिर्देशों से संबंधित मानक तैयार करने और संशोधित करने में भारतीय मानक ब्यूरो और तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय इत्यादि के साथ समन्वय करता है।

9. **पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महा-नियंत्रक (सीजीपीडीटीएम):** यह कार्यालय औद्योगिक संपत्ति अधिकार से संबंधित कानून नामतः पेटेंट अधिनियम, 1970, डिजाइन अधिनियम, 2000, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 और भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 (पंजीकरण और सुरक्षा) आदि को प्रशासित करता है।

10. **भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री:** यह कार्यालय भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 (पंजीकरण और सुरक्षा) संबंधी विधि प्रशासन के लिए उत्तरदायी है।

11. **बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण::** यह प्रावधान पेटेंट कार्यालय, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री, डिजाइन कार्यालय और भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री सहित सम्मिद्र योजना के लिए है।

12. **राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान:** इसमें बौद्धिक सम्पदा के क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं शिक्षा अनुसंधान की व्यवस्था की गई है। पूंजी भाग के तहत यह प्रावधान कार्यालय भवन निर्माण हेतु है।

13. **आर्थिक सलाहकार:** यह कार्यालय (i) आर्थिक नीतियों के सभी मामलों पर सलाह प्रदान करता है, (ii) औद्योगिक उत्पादन और क्षमता उपयोग की प्रवृत्तियों का परीक्षण करता है, औद्योगिक और आयात नीतियों के निर्माण में सहायता करता है, (iii) औद्योगिक क्षेत्र और विशिष्ट उद्योगों के संदर्भ में ऋण नीति, ऋण आयोजन और इसकी उपलब्धता से संबंधित मामलों का परीक्षण करता है, (iv) उद्योग के लिए वित्तीय प्रस्तावों और शुल्क/उगाहियों का विश्लेषण करता है, (v) औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित अनुसंधान कार्यों का समन्वय करता है (vi) भारत में थोक मूल्यों के सूचकांकों का संकलन और विश्लेषण करता है।

14. **बौद्धिक संपत्ति अपीलीय बोर्ड (आई.पी.ए.बी.):** इसकी स्थापना रजिस्ट्रार, ट्रेड मार्क भौगोलिक संकेतक के निर्णय के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए की गई है। आई.पी.ए.बी. उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकारों का स्थान लेता है। बजट व्यवस्था वेतन तथा बोर्ड के स्थापना संबंधी अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए है। आईपीएबी सशिक्तिकरण योजना, चेन्नै में आईपीएबी को स्थायी स्थान प्रदान करने के उद्देश्य के साथ बारहवीं योजना में अनुमोदित कर दी गई है। यह योजना आयोजना पदों के सृजन मुद्दों को हल भी करेगी और इसका लक्ष्य अन्तरराष्ट्रीय विधि पत्रिकाओं तक पहुच को सक्षम बनाकर संस्थान का क्षमता निर्माण है। चूंकि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का अनुरोध आईपीएबी से किया गया है अत: आयोजना पक्ष के तहत योजना के लिए 1 लाख रुपए का प्रारंभिक आवंटन किया गया है।

15. **प्रशुल्क आयोग:** यह भारत सरकार द्वारा 2 सितम्बर, 1997 से स्थापित आयोग की स्थापना संबंधी व्यय के लिए है। बाद में पहले के बी.आई.सी.पी. को टैरिफ आयोग में मिलाकर आयोग को मजबूत बनाया गया है।

16. **नमक आयुक्त:** यह संगठन केंद्रीय नमक उपकर अधिनियम 1953 और उसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों का प्रशासन करने के लिए उत्तरदायी है। यह नमक और आयोडीन युक्त नमक के उत्पादन तथा युक्ति संगत वितरण को भी विनियमित करता है। यह नियमित रूप से नमक की उपलब्धता और मूल्य को भी मानीटर करता है। बजट में संगठन के स्थापना प्रभारों और विकास/कल्याण कार्यों के संबंध में व्यवस्था की गई है।

17. **केद्रीय विनिर्माणकारी प्रौद्योगिकी संस्थान::** केद्रीय विनिर्माणकारी प्रौद्योगिकी संस्थान, बेंगलूरु धातुकर्म उद्योग के विनिर्माण के लिए एक प्रमुख अनुसंधान और विकास संगठन है। यह विभिन्न रणनीतिक क्षेत्रों जैसे परमाणु उर्जा, एअरो-स्पेस और रक्षा के लिए विशेष उपस्करों मशीनों और विशेषीकृत उन्नत परीक्षण प्रणालियों के डिजाइन और विकास के सम्पूर्ण समाधान की व्यवस्था करता है। यह संस्थान विनिर्माण की विभिन्न उप-शाखाओं जैसे हाई एंड मशीन औजारों और नियंत्रण प्रणालियों, अत्याधुनिक औजारों और नवीन उपकरणों, त्वरित प्रोटो-टाइप और टूलिंग एवं सूक्ष्म त्रिविमीय, लेसर निसाद के लिए धातु मूल पत्थर मिश्रण, मशीन औजारों के लिए उन्नत परीक्षण और निदान, मशीन औजारों लेसर अशांकन और संरेखण, रोबोटिक व स्वचलन और अन्य वैद्युत चुंबकीय निर्माण में सम्बद्ध अनुसंधान और विकास परियोजनाओं द्वारा अभियांत्रिकी उद्योग में महत्वपूर्ण निवेश की व्यवस्था करता है।

18. **लुगदी और कागज उद्योग विकास परिषद:** इसके अन्तर्गत लुगदी और कागज क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए केद्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान और कागज लुगदी एवं सम्बंद्ध उद्योगों की विकास परिषद को दिए गए अनुदान शामिल हैं।

19. **सीमेंट उद्योग के लिए विकास परिषद:** इसमें सीमेंट उद्योग के लिए अनुसंधान और विकास परियोजनाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु व्यवस्था की गई है।

20. **भारतीय चर्म विकास कार्यक्रम:** भारतीय चर्म विकास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य रोजगार अवसरों और अधिक निर्यात के लिए कच्चे माल का संवर्धन, विनिर्माण क्षमता का संवर्धन, पर्यावरणिक समस्याओं का समाधान, मानव संसाधन दक्षता का विकास, ढ़ाँचागत अड्चनों को दूर करके, घरेलू और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकृष्ट करना और भारतीय चर्म का वैश्विक विपणन प्रदान करना है।

21. **अन्य स्कीम:** इसमें अशोक कागज मिल, असम एकक के लिए सहायता का प्रावधान है।

22. **संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन::** इसमें संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन को अंशदान देने के लिये प्रावधान किया गया है।

23.01. **औद्योगिक इकाइयों को परिवहन सब्सिडी:** इसमें पहाड़ी, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक इकाइयों को परिवहन सब्सिडी देने के लिए प्रावधान है।

23.02. **जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के लिए विशेष श्रेणी के राज्यों का पैकेज:** इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड, राज्यों के लिए औद्योगिक नीति में निहित विभिन्न स्कीमों के वित्तपोषण की व्यवस्था है।

23.03. **पूर्वोत्तर औद्योगिक पैकेज:** इस पैकेज में केद्रीय पूंजी निवेश सब्सिडी योजना, केद्रीय ब्याज सब्सिडी योजना और व्यापक बीमा योजना नामक विभिन्न योजनाएंं शामिल हैं।

24. **औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम:** औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम को इसकी अंतर्निहित शक्ति का निर्माण करके तीव्र एवं अनवरत निरन्तर औद्योगिक विकास में सहायता की दृष्टि से तैयार किया गया है।

25. **राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन निर्माण सामग्री परिषद:** इसमें राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन निर्माण सामग्री परिषद के लिए अनुदानों हेतु प्रावधान किया गया है।

26. **बॉयलर का सर्वेक्षण:** इसमें बॉयलर के सर्वेक्षण के लिए अनुसंधान अध्ययनों हेतु बजट का प्रावधान है।

27. **राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद:** एक शीर्ष निकाय के रूप में इस परिषद का गठन ऐसे विनिर्माण क्षेत्रों के विकास को गति देने और बनाए रखने के लिए जिनमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा की क्षमता हो और जो विनिर्माण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए अपेक्षित राष्ट्रीय स्तर के उद्योग/क्षेत्र विशिष्ट नीतिगत उपायों की सिफारिश करे। स्थापना संबंधी व्ययों के अलावा, विभिन्न अध्ययनों, मूल्यांकन रिपोर्टों को तैयार करना और परामर्शदाताओं को नियुक्त करने से जुड़े कार्य करने की भी जरूरत है ताकि विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पार्धात्मकता बढ़ाई जा सके।

28. **निवेश प्रोत्साहन योजना:** अन्तरराष्ट्रीय निगम तथा संयुक्त उपक्रम, एशिया उद्यम तथा उपक्रम निवेश प्रोत्साहन गतिविधियों को आपस में मिला दिया गया है और यह प्रावधान मिलायी गयी योजना के लिए है। निवेश प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य देश में विदेशी निवेश को इन्वेस्ट इंडिया कम्पनी और विभाग द्वारा आरंभ किए गए निवेश संवधर्न कार्यक्रमों के जरिए प्रोत्साहित करना है। इसमें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परियोजना के तहत ईबिज मिशन मोड परियोजना भी शामिल है, जिसका कार्यान्वयन विदेशी और घरेलू निवेशकों को विभिन्न निवेश और व्यापार संबंधी सेवाएँ जैसे, लाइसेंस, अनुमोदन, अनापत्ति प्रमाण पत्र, निकासी आदि प्रदान करने हेतु किया जा रहा है।

29. **दिल्ली मुम्बई औद्योगिक गलियारा परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट:** दिल्ली मुम्बई औद्योगिक गलियारा परियोजना, दादरी (यू.पी) और जेएनपीटी (नवी मुम्बई) के बीच 1483 कि.मी. लम्बा पश्चिम समर्पित रेलफ्रेट गलियारा के संरेखण दोनों तरफ विकास हेतु प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र छः राज्यों को पार करते हुए, यह परियोजना स्थानीय व्यापार को सक्रिय करने के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा और अत्याधुनिक अवसंरचना के साथ सशक्त आर्थिक आधार सृजन, निवेश बढ़ाना और सतत् विकास प्राप्त करने की अपेक्षा करती है। डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन निधि परिक्रामी निधि होगा और इसे ट्रस्ट के रूप में स्थापित होगा। निधि/ट्रस्ट दिल्ली मुम्बई औद्योगिक गलियारा के अन्दर और चारों ओर के शहरों के विकास में सहायता देने हेतु वित्तीय संस्थानों से दीर्घावधि निधियम जुटाने के लिए भारत सरकार से प्रदत्त संसाधनों; को उठाए जाएंगे। ट्रस्ट की आधारभूत निधि निम्नलिखित के लिए प्रयोग में आयेगी (क) गैर-पीपीपी अवसंरचना विकास और परियोजना विशेषक एसजीवी जो नोडल/ शहर स्तर एसपीवी द्वारा भेजी जा सकती है, में निवेश हेतु नॉडल/ शहर स्तर एसपीवी को इक्विटी और/या ऋण प्रदान करना (ख) अन्य परियोजना विशेष एसपीवी और क्षेत्र धारक कम्पनियों जिनमें परियोजना विशेषक एसपीवी है को इक्विटी और /या ऋण प्रदान करना तथा (ग) परियोजना विकास के लिए डीएमआईसीडीसी को अनुदान प्रदान करना।

31.01. **दिल्ली मुम्बई औद्योगिक गलियारा विकास निगम:** दिल्ली मुम्बई औद्योगिक गलियारा विकास निगम को इक्विटी सहायता प्रदान करना।

35. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए प्रावधान:** यह प्रावधान पूर्वोत्तर औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति, 2007 के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ को परियोजनाओं/योजनाओं के लिए निर्धारित किया गया है।

http://indiabudget.nic.in